

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर फारस्ट्रेक बडीसादडी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर ए एस उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बडीसादडी
प्रकरण सं. 85 / 2015

वादपत्र पारा 53, 88 आर टी एक्ट.

श्रीमति बाबरी बाई बेवा खेमा चमार नि. जाटो का खेड़ा तह. बडीसादडी
सालु गोदी पुत्र खेमा ना सरपरस्त माता बाबरी बाई बेवा खेमा चमार नि. जाटो का खेड़ा

—वादीगण

बनाम

पृथ्वीराज पिता मांगीलाल चमार नि. जाटो का खेड़ा तह. बडीसादडी
रामनारायण उर्फ टमा पिता मांगीलाल चमार नि. जाटो का खेड़ा तह. बडीसादडी
मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बडीसादडी
तहसीलदार बडीसादडी

— प्रतिवादीगण

सक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बडीसादडी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त चुका है। साफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है।

मौजा जाटो का खेड़ा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- श्रीमति बाबरी बाई बेवा खेमा चमार नि. जाटो का खेड़ा तह. बडीसादडी

आ.न.	रकबा	लगान
267 / 2	0.1000	3.30
267 / 3	0.1300	4.29
267 / 7	0.3000	9.90
03	0.5300	17.49

2- पृथ्वीराज पिता मांगीलाल चमार नि. जाटो का खेड़ा तह. बडीसादडी

आ.न.	रकबा	लगान
267 मी	0.1000	3.30
267 / 5	0.1300	4.29
267 / 8	0.3000	9.90
03	0.5300	17.49

3- रामनारायण उर्फ टमा पिता मांगीलाल चमार नि. जाटो का खेड़ा तह. बडीसादडी

आ.न.	रकबा	लगान
267 / 1	0.1000	3.30
267 / 4	0.1300	4.29
267 / 6	0.3000	9.90
3	0.5300	17.49

4- श्रीमति बाबरी बाई बेवा खेमा चमार नि. जाटो का खेड़ा तह. बडीसादडी

आ.न.	रकबा	लगान
268	0.0900	आ.चाह
1	0.0900	-

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे। निर्णय आज दिनांक 1 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर



जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस